रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 247] नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 22, 2014/श्रावण 31, 1936
No. 247] NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 22, 2014/SRAVANA 31, 1936

भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद्

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 अक्तूबर, 2013

सं.भा.आ.प.–34 (41)/2013–मेडि.–भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की धारा 33 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए, "**मेडिकल कॉलेज की स्थापना विनियमावली, 1999**" में पुनः संशोधन करने हेतु, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद्, केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है, नामतः–

1. (i) इन विनियमों को "मेडिकल कॉलेज की स्थापना विनियमावली (संशोधन), 2013" कहा जाए।

   (ii) ये सरकारी गजट में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. दिनांक 01.10.2012 तक पुनः संशोधित "मेडिकल कॉलेज की स्थापना विनियमावली, 1999" में निम्नलिखित **परिवर्धन/ संशोधन/ विलोप/ प्रतिस्थापन** दर्शाए जाएंगे।

3. दिनांक 01.10.2012 की राजपत्र की अधिसूचना के अंतर्गत अधिसूचित "समुचित सरकार" की परिभाषा को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगाः

   "समुचित सरकार" से अभिप्रेत है – केंद्रीय सरकार के नियंत्रणाधीन स्थापनाओं/ अभिकरणों/ एजेंसियों/ उपक्रमों के संबंध में केंद्रीय सरकार और अन्य सभी मामलों में राज्य/ संघ शासित सरकार"।

4. "अर्हता मानदंड" शीर्षक के अंतर्गत खंड 2(2) में अंतिम पैराग्राफ "उपर्युक्त राज्यों, जहां दो या इससे अधिक मेडिकल कॉलेज पहले से ही विद्यमान हैं, में किसी जिले में किसी मेडिकल कॉलेज की स्थापना करने के लिए अनुमति मांगने वाले किसी व्यक्ति को उपर्युक्त छूट उपलब्ध नहीं होगी" का विलोप किया जाता है।

5. 'अर्हता मानदंड' शीर्षक के अंतर्गत खंड 2(5) में अंतिम पैराग्राफ को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगाः

"बशर्ते कि किसी समुचित सरकार को यह अनुमति होगी कि वह, इस उद्देश्य के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करके किसी व्यक्ति/एजेंसी द्वारा किसी कॉलेज की स्थापना करने के लिए, इसके द्वारा प्रबंधित या इसके स्वामित्व वाले किसी अस्पताल की सुविधाओं के उपयोग की अनुमति प्रदान कर सके।

पुनः बशर्ते कि नैदानिक सामग्री, मानव संसाधन और बिस्तरों सहित भौतिक अवसंरचना, सुसंगत न्यूनतम मानकों, शर्तों, विनियमों के अनुसार हो।"

प्रोफेसर संजय श्रीवास्तव, सचिव

[विज्ञापन III/4/असा./100/14]

<u>पाद टिप्पणी</u> : प्रधान नियमावली नामतः **"मेडिकल कॉलेज की स्थापना विनियमावली, 1999"** भारत के गजट के भाग–III, धारा (4) में भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद की अधिसूचना सं.34(41)/98–मेडि. के अंतर्गत दिनांक 28 अगस्त, 1999 को प्रकाशित की गई थी और इसे दिनांक 07 अक्तूबर, 1999, 14 अगस्त, 2000, 29 जुलाई, 2008, 22 अक्तूबर, 2009, 26 फरवरी, 2010, 16 अप्रैल, 2010, 14 अक्तूबर, 2011, 01 जून, 2012 और 01 अक्तूबर, 2012 की अधिसूचना के अंतर्गत संशोधित किया गया था।

MEDICAL COUNCIL OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th October, 2013

No. Medical Council of India 34(41)/2013-Med.— In exercise of powers conferred by Section 33 of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956), the Medical Council of India with the previous sanction of the Central Government hereby makes the following regulations to further amend the "Establishment of Medical College Regulations, 1999" namely:-

1. (i) These regulations may be called the "Establishment of Medical College Regulations, (Amendment), 2013".

   (ii) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the "Establishment of Medical College Regulations, 1999", further amended till 01.10.2012, the following **additions / modifications / deletions / substitutions**, shall be as indicated therein:-

3. The Definition of "Appropriate Government' notified vide Gazette Notification dated 01.10.2012, the following shall substitute with the following:

   "appropriate Government" means in respect of establishment/instrumentalities/ agencies/undertaking under the control of Central Government, the Central Government, and in all other cases, the State / Union Territory Government".

4. In the clause 2(2) under the heading "QUALIFYING CRITERIA", the last paragraph **"the above relaxation shall not be available to a person seeking permission to establish a medical college in the District in above states where two or more medical colleges are already in existence"** is deleted.

5. In Clause 2(5) under the heading "QUALIFYING CRITERIA", the following shall substitute the last paragraph:-

   "Provided that an appropriate Government shall be permitted to allow the utilization of the facilities of a hospital owned and managed by it for establishing a Medical College by a person / agency by entering into a Memorandum of Understanding for this purpose."

Provided further that the clinical material, human resources and physical infrastructure including beds are as per the relevant minimum standards requirement, Regulations.

Prof. SANJAY SHRIVASTAVA, Secy.

[ADVT. III/4/Exty./100/14]

Foot Note: The Principal, Regulations namely, "Establishment of Medical College Regulations, 1999" were published in Part-III, Section (4) of the Gazette of India on the 28th August, 1999, vide Council of India Notification No.34(41)/98-Med. and amended vide notification 7th October 1999, 14th August, 2000, 29th July, 2008, 22nd October, 2009, 26th February, 2010 and 16th April, 2010, 14th October, 2011, 1st June, 2012 and 1st October, 2012.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.